भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1610

11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: भूजल के द्वारा कृषि उत्पादन

1610. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

श्री छतर सिंह दरबारः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कृषि प्रयोजन हेतु भूजल के द्वारा कितना प्रतिशत कृषि उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या घटते हुए जल स्तर ने तमिलनाडु सहित देश में अनाजों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तत्संबंधी वर्तमान स्थिति का आंकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और गत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी निधि आबंटित की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में सकल बुवाई क्षेत्र 140.13 मिलियन हेक्टेयर है। देश में सकल सिंचित क्षेत्र 68.3 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा सिंचित क्षेत्र 41.08 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) एवं (ग): यद्यपि देश के कुछ क्षेत्रों में भू-जल में गिरावट की घटनाएं देखने में आई हैं, फिर भी इसका खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तमिलनाडु सहित देश में खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 252.03 मिलियन टन था जो वर्ष 2018-19 (चौथे अग्रिम अनुमान) के दौरान बढ़कर 284.95 मिलियन टन हो गया है ।

(घ) एवं (ड.): देश के महत्वपूर्ण भू-जल संसाधनों का केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा आवधिक मूल्यांकन किया जा रहा है। वर्ष 2017 के आकलन के अनुसार कुल भू-जल पुनर्भरण 432 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निकासी योग्य भू-जल संसाधन 393 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भू-जल निकासी 249 बीसीएम है, जिसमें से 221 बीसीएम का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) स्थानीय मापदंडों के आधार पर पूरे देश में भू-जल के स्तर की निगरानी वेल के नेटवर्क के माध्यम से करता है। दीर्घकालिक आधार पर जल स्तर में गिरावट का आकलन करने के लिए केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा प्री-मॉनसून 2019 के दौरान प्री-

मानूसन जल स्तर से संबंधित आंकड़े एकत्र कर उनकी तुलना दशकीय औसत (2009-2018) के साथ की गई है। जल स्तरीय आंकड़ों के मूल्यांकन से पता चलता है कि मूल्यांकन किए गए का लगभग 61% कुओं में के भू-जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जो अधिकांशत: 0-2 मीटर की सीमा में है। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न स्थानों में 4 मीटर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे राज्य / केंद्रशासित प्रदेश जहां निगरानी कुंओं का 10% से अधिक कुओं में 4 मीटर से अधिक जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है, वे हैं- दिल्ली, दादर और नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड।

(च): केंद्रीय भू-जल बोर्ड 'भू-जल प्रबंधन और विनियमन' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। जल राज्य का विषय होने के कारण जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ देश में भू-जल प्रबंधन में भागीदारी के कार्य की जिम्मेदारी मूलत: राज्यों की है। अधिकांश राज्यों ने जल प्रबंधन / संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनमें राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिबार', गुजरात में 'सुजलम सफलम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकतीय', आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू, बिहार में जल जीवन हरियाली आदि प्रमुख है। केंद्र सरकार द्वारा भू-जल के संरक्षण, प्रबंधन एवं देश में वर्षा जल संचयन का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं जिन्हें www.mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार ने मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ समयबद्ध आधार पर जल शक्ति अभियान आरंभ किया है जिसका उद्देश्य भारत में 256 जिलों के जल की कमी वाले ब्लॉकों में भू-जल की स्थिति सहित जल की उपलब्धता में सुधार करना है। इस संबंध में केंद्र सरकार के अधिकारियों का एक दल जल शक्ति मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर उचित गतिविधियां चलाने के लिए जल की कमी वाले जिलों में भेजा गया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने स्थान विशिष्ट वर्षा जल संचयन उपाय करने के साथ-साथ भू-जल पुनर्भरण, सतही और भू-जल का संयुक्त उपयोग और सूक्ष्म सिंचाई का उचित प्रबंधन तथा कृषि में भू-जल का उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है। परिषद ने इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ इन पहलुओं पर फ्रंटलाइन प्रदर्शन का आयोजन करती है।

केंद्र सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट (पीएमकेएसवाईडब्ल्यूडीसी) के माध्यम से जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का समर्थन करती है। सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पीएमकेएसवाई (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। संतुलित जल खपत वाली फसलों को अधिक उचित कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में उगाने तथा कम जल खपत वाली फसलों को वहां उगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु फसल विविधीकरण कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। मनरेगा, पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी और पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत राज्यों को जारी केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुबंध I, II और III** में दिया गया है।

लो.सअता.प्र.सं.1610

अनुबंध-I

एमजीएनआरईजीएस के तहत जल संरक्षण और जल संचयन हेतु जारी की गई निधियां

रूपये लाख में

क्र.स.	राज्य	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	अंडमान और निकोबार	21.28	27.06	6.85	25.24	70.2
2	आंध्र प्रदेश	76072.54	45564.36	26883.27	57995.78	17854.82
3	अरुणाचल प्रदेश	934.29	415.94	449.53	53.38	22.43
4	असम	9077.23	6309.15	7289.78	2210.78	1792.06
5	बिहार	18503.75	15755.33	12815.34	9129.91	3728.03
6	छत्तीसगढ़	56564.34	46126.81	56969	29691.23	28990.4
7	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0
8	दमन और दीव	0	0	0	0	0
9	गोवा	0	0.79	4.17	2.99	8.58
10	गुजरात	19052.67	9356.06	10615.99	7252.24	4553
11	हरियाणा	5388.3	4807.84	4676.48	1272.51	2734.26
12	हिमाचल प्रदेश	9222.73	6197.81	6097.89	4398.76	5772.01
13	जम्मू और कश्मीर	3543.53	5146.23	3492.12	2731.55	1302.12
14	झारखंड	9108.26	13762.1	64559.95	33972.36	24965.33
15	कर्नाटक	58124.35	45327.55	42815.68	17620.79	17153.55
16	केरल	90043.99	52227.05	47288.36	31616.23	38591.58
17	लक्षद्वीप	2.34	1.91	0	2.04	10.18
18	मध्य प्रदेश	97835.98	49304.09	54783.02	26539.27	37799.98
19	महाराष्ट्र	32376.13	28270.54	35478.25	36689.51	26225.91
20	मणिपुर	3032.1	756.16	2230.21	1217.14	1868.07
21	मेघालय	5417.5	7612.55	6564.46	1850.71	2160.72
22	मिजोरम	3772.23	1423.71	1029.55	2068.48	782.75
23	नागालैंड	1787.86	6735.86	2441.35	740.32	95.19
24	ओडिशा	15187.21	15557.64	21500.72	13281.91	10003.46
25	पुडुचेरी	340.04	273.47	94.26	73.32	37.21
26	पंजाब	918.43	697.23	441.21	323.83	184.9
27	राजस्थान	112575	76703.75	94708.23	82303.68	70101.54
28	सिक्किम	403.93	639.97	1256.02	1037.73	737.35
29	तमिलनाडु	218409.1	52327.56	46809.32	55366.42	43614.4
30	तेलंगाना	54154.01	57285.68	39856.98	41593.84	19973.07
31	त्रिपुरा	9378.79	7190.18	15142.89	10881.14	13918.42
32	उत्तर प्रदेश	74204.53	55417.14	98099	37596.15	30083.11
33	उत्तराखंड	6029.63	5742.98	4615.97	2990.56	1987.53
34	पश्चिम बंगाल	41323.23	67351.12	85367.99	49600.81	65130.02
	कुल	**1032805**	**684315.6**	**794383.8**	**562130.6**	**472252.2**

लो.सअता.प्र.सं.1610

अनुंध-II

रूपये करोड़ में

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई (पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी) के तहत जारी धनराशि का राज्यवार / वर्षवार विवरण							
क्र.सं.	**राज्य**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	163.28	86.73	120.96	123.35	139.15	633.47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	18	23.12	9.62	19.17	69.91
3	असम	6.99	45	0	65.09	66.55	183.63
4	बिहार	21.47	5	28.26	19.21	46.77	120.71
5	छत्तीसगढ़	10	20	34.96	33.45	57.03	155.44
6	गोवा	0					0
7	गुजरात	72.34	100	115.04	87.51	151.84	526.73
8	हरियाणा	26.97	6.91	12.82	10.94	10	67.64
9	हिमाचल प्रदेश	0	20	35.4	26.83	24.04	106.27
10	जम्मू और कश्मीर	51.43		25.59	43.66	71.87	192.55
11	झारखंड	0	20	17.68		28.83	66.51
12	कर्नाटक	125.43	125	145.72	175.69	101.07	672.91
13	केरल	15.16	20	16.62	17.83	13.06	82.67
14	मध्य प्रदेश	303.98	150	129.44	134.84	162.41	880.67
15	महाराष्ट्र	197.91	250	186.95	279.21	163.33	1077.4
16	मणिपुर	11.1	9	11.286	13.84	14.14	59.366
17	मेघालय	37.16	18	11.56	8.95	6.69	82.36
18	मिजोरम	75.81	8.87	16.06	22.35	23.14	146.23
19	नागालैंड	95.09	27	60.84	32.08	38.51	253.52
20	ओडिशा	248.79	67.5	91.99	94.48	102.17	604.93
21	पंजाब	0	7.953	0	7.96	0	15.913
22	राजस्थान	403.07	200	199.35	243.59	299	1345.0134
23	सिक्किम	0	6.3	0	1.4	0	7.7
24	तमिलनाडु	124.02	75	62.36	82.75	90.59	434.72
25	तेलंगाना	124.58	70	0	51.14	81.93	327.65
26	त्रिपुरा	19.04	20.89	27.12	16.66	15.89	99.6
27	उत्तर प्रदेश	75.39	75	58.38	63.93	0	272.7
28	उत्तराखंड	49.77	25.677	16.15	9.97	6.98	108.547
29	पश्चिम बंगाल	25.85	10	24.06	15.48	46.39	121.78
	सकल योग	**2284.63**	**1487.83**	**1471.72**	**1691.81**	**1780.55**	**8716.54**

लो.सअता.प्र.सं.1610

अनुबंध-III

पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत जारी केंद्रीय सहायता

रूपये करोड़ में

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15*	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	121.48	206.47	308.69	517.1	520
2	बिहार	35.00	28.6	21.6	12.5	27.91
3	छत्तीसगढ़	10.00	20.3	44.8	55	43.39
4	गोवा	0.20	0.3	0.8	0	1.2
5	गुजरात	140.68	213.05	274	300	272.5
6	हरियाणा	23.00	34.97	27	14.01	27.41
7	हिमाचल प्रदेश	1.50	7.6	8.5	19.25	26
8	झारखंड	15.00	14.97	30.7	25	10
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	4.87	5.4	3	7.8
10	कर्नाटक	124.25	213.12	229	385	372.03
11	केरल	3.75	8.53	0	25	4
12	मध्य प्रदेश	66.50	161.74	121.1	150	132.56
13	महाराष्ट्र	177.50	107.26	305.7	362.5	360
14	ओडिशा	10.14	28.7	39.7	48	58
15	पंजाब	0.00	43	1.18	0	9
16	राजस्थान	75.00	142.84	129	107.5	168.48
17	तमिलनाडु	56.63	129.78	143.5	369.55	355
18	तेलंगाना	77.57	111.32	189	257	122
19	उत्तराखंड	6.97	9.6	15	27.2	43
20	उत्तर प्रदेश	3.00	37.51	41.4	55	87.88
21	पश्चिम बंगाल	0.00	4.8	19.9	31	40
22	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.6	2	8.3	12.5
23	असम	1.00	5.03	11	3	30
24	मणिपुर	2.72	2.76	3.6	7.5	40
25	मेघालय	0.00	1.43	0	3.3	12
26	मिजोरम	4.50	3.27	8.1	12.3	27.8
27	नागालैंड	0.00	2.34	4.5	11.8	35
28	सिक्किम	4.26	4.86	5.4	4	55.19
29	त्रिपुरा	2.00	1.55	0	3.75	15
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0.2	0	0.5	0
31	पुडुचेरी	0	2.03	0	0	0
	सकल योग	**962.65**	**1555.4**	**1990.57**	**2818.06**	**2915.65**

* ऑन फार्म जल प्रबंधन योजना (ओएफडब्ल्यूएम) के तहत निर्मुक्ति।

****